अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगा
रणजीत राणा **बनाम** अमरजीत सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 74 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/263
हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तामील हुक्म

15.10.2024

अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को रूक रूक कर 3 बार आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 2 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 29/27 के मुरब्बा नम्बर 16 के कुल 14 बीघा 4 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश पारित किये जावे।

लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा वादगत भूमि के इकरारनामा दिनांक 08.06.1985 के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। इकरारनामा के सम्बन्ध में स्थगन प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध इकरारनामा के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम विधिसंगत नही समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर